472

उत्तराखण्ड शासन,
औद्योगिक विकास अनुभाग– 2
संख्या /VII-2/2015/–29–सिडकुल/2016
देहरादून :दिनांक 27– सितम्बर, 2016.

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1052/औ0वि0/07–उद्योग/2004–05 दिनांक 15 जनवरी,2005 द्वारा मै0 काशी विश्वनाथ स्टील्स लिमिटेड नारायण नगर बाजपुर रोड़ काशीपुर तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों को ग्राम हेमपुर स्माईल कुन्डेश्वरी शिवलालपुर, डल्लू में चिन्हित/संकमित 39.613 एकड़ भूमि को निजी क्षेत्र का औद्योगिक आस्थान घोषित/अधिसूचित किया गया था। उक्त आस्थान के प्रवर्तक एवं सहयोगी 06 इकाईयों में से मै0 गलवालिया इस्पात उद्योग प्रा0लि0 जो ग्राम कुण्डेश्वरी की भूमि के खसरा सं0 25/3, 27, 28, 48 एवं 49 में स्थापित है, उद्यम से निरन्तरता में लगी हुई ग्राम कुण्डेश्वरी की अतिरिक्त भूमि के खसरा संख्या 27, 29, 31, 32/1, 32/2, 48, 49 एवं 54 के अन्तर्गत कुल रकवा 23.472 एकड़ में विस्तारीकरण हेतु प्रस्तावित मै0 गलवालिया इस्पात उद्योग प्रा0लि0 को औद्योगिक विभाग द्वारा प्रख्यापित मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी–2015 के तहत निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आच्छादित किया जाता है–

1. निजी औद्योगिक आस्थान की अधिसूचित भूमि पर सम्पूर्ण भूमि का मास्टर प्लान सीडा (SIDA) से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

   औद्योगिक आस्थान की अधिसूचित भूमि पर सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास स्वयं आस्थान के प्रमोटर द्वारा किया जायेगा।

3. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना/विस्तार के लिए EIA Notification 2006 में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार अपेक्षित अनापत्ति/सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
4. निजी औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाले उद्योग को औद्योगिक विकास विभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 28/7/2015 से प्रख्यापित मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी–2015 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ उक्त ज्ञाप में उल्लिखित अर्हताओं के पूर्ण करने पर ही अनुमन्य होगा।
5. मै. गलवलिया इस्पात उद्योग प्रा.लि. जो कि वर्तमान में नाराण नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट में अवस्थित है । इस निजी औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाले उद्यम को मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी–2015 का लाभ तभी अनुमन्य होगा, जबकि मै. नारायण नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट के अन्तर्गत अतिरिक्त चिन्हित भूमि औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित हो जायेगी।

6. औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड के लोगों को न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन दिया जाना आवश्यक होगा।
7. औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न विभागों/संस्थाओं से वांछित सभी स्वीकृतियां/अनुज्ञा/अनुमोदन/अनापत्ति आदि प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(डा0 आर राजेश कुमार)
अपर सचिव।

संख्या 816 /VII-2/2015/–28 सिडकुल/2016 एवं तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2.संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, नई दिल्ली।
3.अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4.मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
5.अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
6.जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
7.प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
8.मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9.सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
10.समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
11मै0 गलवालिया इस्पात उद्योग, प्रा0लि0 नारायण नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट बाजपुर रोड़, काशीपुर (उधमसिंहनगर)।
12.निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
13.एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(जे0पी0बेरी)
अनुसचिव।